

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर  
क्रमांक - ई-18/एम/जोन-जोधपुर/2019/ दिनांक

### आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न प्रकार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. स.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान	प्र0नि0 तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	पें मेट्रिक्स लेवल
1	श्री कौन्तेय पटेल, कनिष्ठ सहायक, जोधपुर।	20.05.2010	09 वर्ष	20.05.2019	एल- 6
2	श्री मोहन लाल कच्छवाह, वरिष्ठ सहायक, जोधपुर।	03.07.1992	27 वर्ष	03.07.2019	एल- 11

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

51  
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0 जयपुर

दिनांक 19/08/19

क्रमांक - ई-18/एम/जोन-जोधपुर/2019/1727  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 अधीक्षक, मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर।
- 2 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पावटा, जोधपुर।
- 3 सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 4 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 5 आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर